

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 442]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 5 नवम्बर 2015—कार्तिक 14, शक 1937

#### परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2015

क्र. एफ-1-14-2011-आठ.—यतः राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमांक एफ 1-14-2011-आठ, दिनांक 1 मई, 2013 द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन विनिर्दिष्ट सम्पूर्ण क्षेत्र तथा जिलों में उक्त अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये एक बहुसदस्यीय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों का गठन किया था. और यतः क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी के कृत्यों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) के अधीन लाए जाने हेतु अधिसूचित किया गया है, अतएव, इन कृत्यों के समय सीमा में निष्पादन तथा इस कार्य हेतु उत्तरदायित्व के निर्धारण के लिये राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि एक एकल सदस्यीय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी का गठन किया जाए,

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (2) के द्वितीय परन्तुक के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-14-2011-आठ, दिनांक 1 मई, 2013 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिये उसके कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी जिलों को सम्मिलित करते हुए उसके कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट मुख्यालय पर संबंधित संपूर्ण क्षेत्र तथा जिले में ऐसे प्राधिकारियों को उक्त अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये उसके कॉलम (2) में उल्लेखित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी का गठन करती है, अर्थात् :-

#### अनुसूची

क्र	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी	क्षेत्र का नाम	क्षेत्र में सम्मिलित जिले	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी का मुख्यालय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त, भोपाल संभाग.	भोपाल संभाग	राजस्व जिले भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा.	भोपाल
2	क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त, चम्बल संभाग (मुरैना).	चम्बल संभाग	राजस्व जिले श्योपुर, मुरैना, भिण्ड	मुरैना

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त, ग्वालियर संभाग.	ग्वालियर संभाग	राजस्व जिले ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर.	ग्वालियर
4	क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त, नर्मदापुरम् (होशंगाबाद) संभाग.	नर्मदापुरम् (होशंगाबाद) संभाग	राजस्व जिले बैतूल, होशंगाबाद, हरदा.	नर्मदापुरम् (होशंगाबाद) संभाग
5	क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त, इन्दौर संभाग.	इन्दौर संभाग	राजस्व जिले इन्दौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगौन, बड़वानी, खण्डवा, बुरहानपुर.	इन्दौर
6	क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त, जबलपुर संभाग.	जबलपुर संभाग	राजस्व जिले जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा, सिवनी, मण्डला, बालाघाट तथा डिण्डौरी.	जबलपुर
7	क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त, रीवा संभाग.	रीवा संभाग	राजस्व जिले रीवा, सिंगरौली, सीधी तथा सतना.	रीवा
8	क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त, शहडोल संभाग.	शहडोल संभाग	राजस्व जिले शहडोल, उमरिया, अनूपपुर.	शहडोल
9	क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त,	सागर संभाग	राजस्व जिले सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर तथा टीकमगढ़.	सागर
10	क्षेत्रीय परिवहन आयुक्त, उज्जैन संभाग.	उज्जैन संभाग	राजस्व जिले उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगर-मालवा, मंदसौर तथा नीमच.	उज्जैन

No. F-1-14-2011-VIII.—WHEREAS the State Government has constituted multi members Regional Transport Authorities to exercise and perform the powers, and duties throughout the areas relating thereto conferred under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide its notification No. F. 1-14-2011-VIII dated 1st May 2013; and whereas the functions of the Regional Transport Authorities have been notified to bring under the Lok Seva Guarantee Adhinyam, 2010 (No. 24 of 2010). Hence the State Government considers it necessary to constitute a single member Regional Transport Authority for the discharge of the functions and for fixing the responsibility of work within time limit.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with second proviso to sub-section (2) of Section 68 of the said Act and in supersession of this department's Notification No. F. 1-14-2011-VIII dated 1st May, 2013 the State Government, hereby, constitute the Regional Transport Authority as specified in column (2) of the schedule given below who shall exercise and discharge the powers and functions throughout the related areas and districts conferred under the said Act or any other Act for the areas specified in column (3) including the corresponding districts specified in column (4) of the said schedule and the headquarters specified in column (5) thereof, namely :—

#### SCHEDULE

Serial Number	Regional Transport Authority	Name of Area	Districts included in the Area	Headquarter of Regional Transport Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Regional Deputy Transport Commissioner, Bhopal Division.	Bhopal Division	Revenue districts Bhopal, Sehore, Raisen, Rajgarh and Vidisha.	Bhopal

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Regional Deputy Transport Commissioner, Chambal Division (Morena).	Chambal Division	Revenue districts Sheopur, Morena and Bhind.	Morena
3	Regional Deputy Transport Commissioner, Gwalior Division.	Gwalior Division	Revenue districts Gwalior, Shivpuri, Guna and Ashoknagar.	Gwalior
4	Regional Deputy Transport Commissioner, Narmadapuram Division (Hoshangabad).	Narmadapuram Division	Revenue districts Betul, Hoshangabad and Harda.	Hoshangabad
5	Regional Deputy Transport Commissioner, Indore Division.	Indore Division	Revenue districts Indore, Dhar, Alirajpur, Jhabua, Khargone, Badwani, Khandwa and Burhanpur.	Indore
6	Regional Deputy Transport Commissioner, Jabalpur Division.	Jabalpur Division	Revenue districts Jabalpur, Katni, Narsinghpur, Chhindwada, Seoni, Mandla, Balaghat and Dindori.	Jabalpur
7	Regional Deputy Transport Commissioner, Rewa Division.	Rewa Division	Revenue districts Rewa, Singrauli, Sidhi and Satna.	Rewa
8	Regional Deputy Transport Commissioner, Shahdol Division.	Shahdol Division	Revenue districts Shahdol, Umariya and Anuppur.	Shahdol
9	Regional Deputy Transport Commissioner, Sagar Division.	Sagar Division	Revenue districts Sagar, Damoh, Panna, Chhatarpur and Tikamgarh.	Sagar
10	Regional Deputy Transport Commissioner, Ujjain Division.	Ujjain Division	Revenue districts Ujjain, Dewas, Ratlam, Shajapur, Agar-Malwa, Mandsour and Neemuch.	Ujjain

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार भार्गव, उपसचिव.